न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
प्रकरण संख्याः- 91/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पृथ्वीराजसिंह पुत्र हीराराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर		01. हजारीराम पुत्र गोमाराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर 02. अमरचन्द पुत्र हनुमान 03. कृष्णा पुत्री हनुमान 04. पेम्पा पत्नि सहीराम 05. बृजमोहन पुत्र हनुमान 06. रामचन्द्र पुत्र हनुमान 07. रामेश्वरी पत्नि हनुमान जाति बिश्नोई निवासी विष्णुनगर, जालोड़ा त. लोहावट जि. जोधपुर 08. ओमप्रकाश पुत्र छोगाराम 09. गोमती पुत्री फगलूराम 10. गोमती पत्नि किशनाराम 11. चुतराराम पुत्र फगलूराम 12. तुलछी पुत्री खींयाराम पति रामलाल 13. पूनाराम पुत्र छोगाराम 14. बगड़ाराम पुत्र तेजाराम 15. बंशीलाल पुत्र फगलूराम 16. बागी पत्नि बंशीलाल 17. भवंरलाल पुत्र तेजाराम 18. भागीरथराम पुत्र किशनाराम 19. महीपाल पुत्र छोगाराम 20. मांगीलाल पुत्र किशनाराम 21. मालाराम पुत्र मुल्तानाराम 22. मोबती पत्नि मुल्तानाराम 23. मोहिनी पुत्री मुल्तानाराम 24. [illegible] 25. लाधू पुत्र हरींग[illegible] 26. [illegible] 27. [illegible] पुत्र फगलू[illegible] 28. सोहन पुत्र हरींगा 29. हजारीराम पुत्र छोग[illegible]म 30. हड़मानराम पुत्र किशनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:44 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

जाति विश्नोई निवासी कानासर
तहसील बाप जिला जोधपुर
31. भागीरथ पुत्र बीरबलराम
32. मांगीलाल पुत्र बीरबलराम
33. रामस्वरूप पुत्र बीरबलराम
जाति विश्नोई निवासी कानासर
तहसील बाप जिला जोधपुर
34. शाखा प्रबन्धक एस. बी. आई.
शाखा नोख जिला जैसलमेर
35. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक
शाखा बाप जिला जोधपुर
36. श्रीमान तहसीलदार, बाप

उपस्थित :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4
3. अप्रार्थी सं. 36 सरकारी पैरोकार स्वंय उपस्थित

निर्णय

दिनांक :- 09/06/2023

अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1064 रकबा 19.7810 हैक्टेयर सरहद मौजा कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है। उक्त रहवासीय ढाणिं में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है तथा प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने क्रमांक 366 दिनांक 08.07.2019 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 08.09.20[illegible] को मौके पर जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 33 की उपस्थिति में उक्त भूमि [illegible] भूमि पैमाईश मुश्तकिल बिन्दू से की तथा मौका फर्द तैयार कर प्रार्थी एवं अप्रार्थी[illegible] को सुनाया गया और उक्त फर्द नियमानुसार अप्रार्थी सं. 36 के कार्यालय में जमा करवा दी। वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:44 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि पर पैमाईश अनुसार अपनी हद में खूंटे रोपने लगे तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 33 ने प्रार्थी को खूंटे रोपने से मना कर दिया। इसलिये यह पत्थर गड्डी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी जब पैमाईश अनुसार अपनी भूमि के चारों तरफ खूंटे रोपने लगे तो खसरा नम्बर 1063/1 रकबा 9.8338 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अप्रार्थी सं. 1, खसरा नम्बर 1064/1 रकबा 11.6873 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 2 ता 7, खसरा नम्बर 1050 रकबा 36.9720 हैक्टेयर भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 8 ता 30 तथा खसरा नम्बर 1051/1 रकबा 5.7303 हैक्टेयर के खातेदार अप्रार्थीगण सं. 31 ता 33 ने वर्तमान में पैमाईश अनुसार खूंटे रोपने से मना कर दिया और पैमाईश को मानने से इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 33 ने प्रार्थी को धमकी दी की हम पैमाईश अनुसार खूंटे रोपने नहीं देंगें। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में बरसात के मौसम में काश्त करते है तब उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की गई काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 1064 रकबा 19.7810 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश दिनांक 08.09.2019 के अनुसार प्रार्थी अपनी हद में पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 4 की और से अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 36 सरकारी पैराकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 1064 रकबा 19.7810 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी की हद में पैमाईश फर्द दिनांक 08.09.2019 के अनुसार प्रार्थी और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 33 को सूचित करते हुए किया जाना उचित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब निम्नानुसार है-

प्रार्थीया द्वारा अपनी भूमि को पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार बाप से दिनांक 08.07.2019 को आदेश प्राप्त किये तथा उस आदेश से हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 09.09.2019 को मौके पर जाकर प्रार्थी के खेत की पैमाईश कर ली तथ्य जवाबदाता की जानकारी में नही है। हल्का पटवारी द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर पैमाईश फर्द तैयार की गई है तथा इस प्रकार एक तरफा व मनमाने तरीके से तैयार की गई फर्द पैमाईश रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:44 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी-बाप

का कानूनन कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न पैमाईश फर्द के आधार पर प्रार्थी की पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित खेत की पत्थरगढी निकटतम स्थायी चारों दिशाओं के मुटामों से उक्त विवादग्रस्त भूमि की अप्रार्थी की उपस्थिति में पुनः पैमाईश किया जाना न्यायोचित होगा जिससे वादग्रस्त भूमि पर आगे विवाद उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र जवाबदाता के विरुद्ध चलने योग्य नहीं होने से न्यायहित में खारिज फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1064 रकबा 19.7810 हैक्टेयर सरहद मौजा कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीया ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग-अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांका, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीया द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीया विवादग्रस्त भूमि की टीम गठित करवाकर पैमाईश करवाई जावे पुनः पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ने कथन किया कि प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की टीम गठित की जाकर मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश करवाई जाकर पुनः पैमाईश अनुसार पत्थगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2076-2079, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1064 रकबा 19.7810 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी खातेदार है, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 उक्त भूमि की नियमानुसार पड़ोसी खातेदारों की उपस्थिति में मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश कर प[illegible] किये जाने के कथन किये है। सरकारी पैरोकार ने भी उक्त भूमि [illegible] करवाते हुवे पत्थर गड्ढी किये जाने की अनुशंषा की है। इस[illegible] प्रार्थी अपनी [illegible]दारी भूमि की अपनी हद में पत्थर गड्ढी करवाने की अधिकारी है। अतः प्रार्थी का [illegible]ना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी-बाप

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मोड़किया पटवार क्षेत्र टेपू तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1064 रकबा 19.7810 हैक्टेयर भूमि की पुन: पैमाईश मुश्तकिल बिन्दु से पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुये की जाकर पैमाईश अनुसार पत्थर गड्‌ढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.6.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:44 IST
Reason: SelfAttested